तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह. बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 26 / 2019	नं0 अह हुक में
22.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह पता शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.11.18 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 जोधपुर से पाली को चार लाईन बनाते समय गांव कांकाणी तहससील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नं. 602 व 603 में जमीन अवाप्ति के समय दिये गये मुआवजे की सूचि मय व्यक्ति के नाम सहित प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनिांक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	